

Government of Uttar Pradesh  
Office of District Collector  
Rampur

No. 1421/147


Dated 31-12-2015

TO WHOM SOEVER IT MAY CONERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-09/98-FC(pt.) dated 28<sup>th</sup> October 2014 is certified that 0.0589 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of M/s Indian Oil Corporation Ltd., Bareilly (name of the agency) for construction of Petrol/Diesel Pump site situated at Village- Raura Kalan, Tehsil Milak, District Rampur, Gata No. 403, Bilaspur-Milak Road (MDR No.-33) Km.31.709 RHS (purpose for diversion of forest land) in Rampur District.

It is further certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13<sup>th</sup> day of the December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.


  
(Gajendra Singh)  
Divisional Director  
Social Forestry Division  
Rampur

  
(Rakesh Kumar Singh)  
District Magistrate  
Rampur

## संयुक्त निरीक्षण आख्या

यह परियोजना मैसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा ग्राम रोरा कलां, तहसील मिलक, जिला रामपुर के गाटा संख्या 403 में पेट्रोल/डीजल पम्प के निर्माण से सम्बन्धित है, जो बिलासपुर-मिलक (एम0डी0आर0 नं0 33) किलोमीटर 31.709 की दायीं पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प के निर्माण कार्य प्रस्तावित है। प्रश्नगत पेट्रोल/डीजल पम्प के निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 12-12-2015 को क्षेत्रीय वन अधिकारी मिलक तथा याचक विभाग के साथ किया गया है। मौके के निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि पेट्रोल/डीजल पम्प के प्रवेश एवं निकास मार्ग में वृक्ष बाधक नहीं हैं। इस परियोजना में 0.0589 है0 भूमि पर लोक निर्माण विभाग रामपुर का स्वामित्व है तथा वन विभाग का संरक्षित वन क्षेत्र है। सम्यक विचारोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और मांगी संरक्षित वन भूमि परियोजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है।

*for*  
*Ro. Milak.*

  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
रामपुर 

  
दिलीप जोहरी  
प्रबन्धक (रिटेल सेल्स)  
बरेली मण्डल कार्यालय  
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड  
82-प्रेम नगर, बरेली-243 005 (उ.प्र.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि बिलासपुर-मिलक रोड (एम.डी.आर.-33) किमी<sup>0</sup> 31.709 की दांयी पटरी पर खसरा/गाटा सं<sup>0</sup> 403, ग्राम रौराकला में पेट्रोल/डीजल पम्प का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन भूमि के अतिरिक्त "वन स्वरूप क्षेत्रों" की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है। अपितु सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर के अन्तर्गत कोई भी क्षेत्र वन स्वरूप क्षेत्र घोषित नहीं है।

  
(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक.

सामाजिक वानिकी प्रभाग

रामपुर। 

## AFFORESTATION DECLARATION

“It is to certify that as per the Joint Inspection Report which is Attachment-4. There is no density of vegetation (Trees) in the forest land which has to be used by the user agency for the purpose of entry & exit. Therefore cutting and felling of trees (vegetation) is not required. In this view according to guidelines of form Part-II at Serial No. 4(II) compensatory afforestation is not required.

  
(Gajendra Singh)  
Divisional Director  
Social Forestry Division,  
Rampur 